न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 125/2015/डिक्री

मांगीलाल पिता बालू सुथार
निवासी स्टेशन गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. बालू पिता लालू सुथार
   निवासी स्टेशन गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
2. रतनीदेवी पत्नि घनश्याम फरमडा (पूर्बिया ब्राह्म्ण)
   निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
दिनांक 07.07.2015 प्रकरण सं. 21/2011

उपस्थित – 1. श्री कृष्णगोपाल झंवर – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री श्यामलाल दायमा – रेस्पोडेन्टस – 1, 2

निर्णय दिनांक– 26.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध धारा 88,89,188,209 आरटीएक्ट के तहत एक वाद अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया इसी के साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन भी प्रस्तुत किया है। ग्राम गंगरार पटवार हल्का गंगरार मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 की पैतक मौरूसी आराजी संख्या 948 रकबा 0.0300 है0 आराजी चाह तथा अराजी चाह तथा आराजी संख्या 949 रकबा 1.0300 है. पेटा तालाब कुल किता 2 कुल रकबा 1.0600 है0 स्थित है जो राजस्व रिकार्ड मे वादी के दादाजी लालु के खातेदारी मे दर्ज होकर वादी परिवार इस मौरूसी आराजीयात पर काबिज होकर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। लालू के स्वर्गवास हो जाने पर वादी की बिना जानकारी के प्रतिवादी संख्या 1 बालु ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर सम्पूर्ण आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम पर दर्ज करा ली। विवादित आराजीयात पैतृक मौरूसी होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा निहित है और अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकरश काश्त करता चला आ रहा है। इसलिये राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती की जाकर वादी पैतृक हिस्सेनुसार खातेदारी मे दर्ज कराया जाना आवश्यक है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान एवं अधिवक्ताओ की अनुपस्थिति मे मनमकसुद तरीके से राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट गंगरार मे केवल मात्र उच्च अधिकारियो की मिलीभगत से निर्णय कर वादी का वाद ठोस तथ्यो को होते हुए कानून के विपरीत जाकर समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना जल्दबाजी मे निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण होने से अपने हिस्से व कब्जेशुदा आराजीयात हेतु राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकार होने से धारा 88,89,188,209 आरटीएक्ट के अन्तर्गत दावा पेश किया प्रकरण महत्वपूर्ण अधिकारो व कब्जे का है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07/07/2015 खारीज फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वाद शहादत मे चल रहा था जिसे बिना पक्षकारान को सूचित किये दिनांक 07/07/2015 को कैम्प कोर्ट गंगरार मे निर्णित कर दिया गया है। आदेशिका पर किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने मे किसी प्रकार की विधिक भूल नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट की पक्षकारान को सूचना दिये बिना निर्णय पारित किया गया है, जबकि वाद शहादत स्टेज पर चल रहा था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार द्वारा प्रकरण संख्या 21/2011 दिनांक 07/07/2015 को पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मे विस्तृत सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़